(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i), में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 85/2018-सीमा शुल्क

नई दिल्ली, 31 दिसंबर, 2018

सा0का0नि0--- (अ). केन्द्रीय सरकार सीमा शुल्क, अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 69/2011- सीमा शुल्क, तारीख 29 जुलाई, 2011, सा0का0नि0 593 (अ), तारीख 29 जुलाई, 2011 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात्;

उक्त अधिसूचना में, क्रम सख्या 746 में, स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि " 6.25" को प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

2. यह अधिसूचना 1 जनवरी, 2019 से प्रवृत्त होगी ।

[फा सं.354/199/2009-टीआरयू (भाग-I)]

(गुंजन कुमार वर्मा)
अवर सचिव भारत सरकार

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं0 69/2011-सीमा शुल्क, तारीख 29 जुलाई, 2011 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i), में सा0का0नि0 593(अ), तारीख 29 जुलाई, 2011 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं0 34/2018-सीमा शुल्क, 27 मार्च, 2018 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i), में सा0का0नि0 286 (अ), तारीख 27 मार्च, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी, के द्वारा किया गया था ।